विवरण-2

वर्ष 1989 की शेष अवधि के दौरान जारी किए जाने वाले स्मारक/विशेष डाक टिकट के प्रस्ताव, जो इस समय विचाराधीन हैं:

1. इलाहाबाद
2. आदि शंकराचार्य
3. आसफ अली
4. आचार्य नरेन्द्रदेव जी
5. आचार्य कृपलानी
6. बी० जी० खेर
7. विष्णु राम मेघी
8. *वियोगी हरि*
9. बालकृष्ण नवीन
10. बम्बई आर्ट सोसायटी, बंबई
11. सी० आर० पी० एफ०
12. दक्षिण गंगोत्री पोस्ट आफिस
13. डी० ए० वी० आन्दोलन
14. डा० एस० राधाकृष्णन्
15. डा० पी० सुब्बारायन
16. डा० एम० जी० रामचन्द्रन्
17. डा० द्वारका नाथ कोटनीस
18. फॉक/ट्राइबल डांसेस ट्राइबल आर्ट आफ इंडिया
19. 18वां अंतर्राष्ट्रीय एपीलेपसी कांग्रेस
20. इंडियन सिनेमा
21. भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
22. किर्लोस्कर ग्रुप आफ इंडस्ट्रीज
23. कमल अटातुर्क
24. लक्ष्मण नायक
25. मोहन बागान एथेलेटिक क्लब / फुटबाल
26. नामाकल कविगनार
27. राष्ट्रीय एकता
28. पंजाब विश्वविद्यालय
29-30. पं० जवाहरलाल नेहरू
31. पं० सुन्दर लाल शर्मा
32. पायनियर
33. राजकुमारी अमृत कौर
34. राव गोपाल सिंए खारवा
35. सायाजी राव गायकवाड़
36. श्यामजी किशन चन्द वर्मा
37. सर गुरूनाथ बेवूर
38. एस० डी० किचलू
39-40. वन्य जीव
41. वालचन्द् हिराचन्द्

विवरण-3

मार्ग निर्देशन सिद्धान्त

1. प्रस्ताव समय की दृष्टि से पर्याप्त समय पूर्व, अर्थात डाक-टिकट जारी करने की प्रस्तावित तारीख से दो वर्ष पूर्व पूरे ब्यौरे सहित प्रस्तुत किये जाने चाहिए ताकि इनकी सुनियोजित जांच की जा सके और फिलैटली सलाहकार समिति से सिफारिश प्राप्त की जा सके।
2. किसी जीवित व्यक्ति पर स्मारक डाक-टिकट जारी नहीं किया जाता।
3. जिस विशिष्ट व्यक्ति पर स्मारक डाक-टिकट जारी किया जाना है, वह क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का होना चाहिए और जिस अवसर पर डाक टिकट जारी किया जाना हो वह उसकी जन्म शताब्दी/10वीं, 25वीं, 50वीं, अथवा 100वीं, पुण्य तिथि होनी चाहिए।
4. किसी एक ही व्यक्ति/स्मारक/भवन/संस्था अथवा संगठन पर एक से अधिक डाक-टिकट जारी नहीं किया जाता।
5. किसी संस्था, भवन, स्मारक आदि पर डाक/टिकट इसकी शताब्दी/125वीं वर्षगांठ/150वीं वर्षगांठ आदि पर जारी किया जा सकता है।
6. केवल अत्यधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर डाक-टिकट जारी करने के लिए विचार किया जा सकता है।
7. प्रत्येक वर्ष जारी किये जाने वाले स्मारक/विशेष डाक-टिकटों में से विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक टिकट सामान्यतया 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रत्येक वर्ष कम से कम 25 प्रतिशत डाक टिकट लोकप्रिय विषयों जैसे पेड़-पौधे एवं जीव जन्तु, कला एवं संस्कृति आदि पर होने चाहिए।

चालू तथा आगामी वर्ष के दौरान राज्यों को गैस की अनुमानित सप्लाई

653. **श्री मीर्जा इर्शादबेग:** क्या **पेट्रोलियम औ प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) चालू वर्ष तथा अगामी वर्ष के दौरान

एच०बी०जे० पाइपलाइन और अन्य स्रोतों से प्रत्येक राज्य को अनुमानतया कितनी मात्रा में गैस सप्लाई किये जाने की संभावना है;

(ख) विभिन्न परियोजनाओं, विशेष रूप से बिजली उत्पादन के लिए राज्यों को गैस की सप्लाई के संबंध में क्या-क्या प्रस्ताव हैं; और

(ग) गुजरात राज्य में विद्युत उत्पादन की परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनके लिए परियोजनावार प्रतिवर्ष 1.5 मिलियन घन मीटर गैस की सप्लाई करने का निर्णय लिया गया है; इस संबंध में राज्य की अन्य मांगें क्या हैं और उन्हें कब तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त): (क) निजी राज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्रों मे विभिन्न राज्यों में स्थित विभिन्न परियोजनाओं को गैस की सप्लाई की जाती है। अब तक विभिन्न राज्यों को दिए गए वचन इस प्रकार हैं:—

राज्य	(एम०एम०सी०एम०डी०)
असम	5.70
त्रिपुरा	1.06
तमिलनाडु	0.10
आन्ध्र प्रदेश	0.60
महाराष्ट्र	12.50
गुजरात	8.20
राजस्थान	3.40
उत्तर प्रदेश	11.85
मध्य प्रदेश	1.65
दिल्ली	1.00

वास्तविक सप्लाई उपभोक्ताओं द्वारा गैस की मात्रा लेने पर निर्भर करेगी।

(ख) बिजली, उर्वरक, स्पंज, आयरन और अन्य परियोजनाओं के लिए गैस की सप्लाई हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) वर्ष 1988 में गुजरात की विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए 1.5 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०सी०एम०डी०) गैस के लिए वचन दिए गए हैं, उत्तरन और धुवारन में गुजरात बिजली बोर्ड की परियोजना के लिए 0.7 एम०एम०सी०एम०डी और जी०आई०पी०सी० को बिजली परियोजना के लिए 0.8 एम०एम०सी०एम०डी० गुजरात सरकार ने गैस पर आधारित अन्य बिजली परियोजनाओं के लिए अनुरोध किए हैं, जिनमें एक पगुथन में तथा एक पिपावन में शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए गैस की उपलब्धता गैस की अतिरिक्त उपलब्धता तथा अन्य प्रयोक्ताओं की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

Acquiring offshore rigs by ONGC and Oil

654. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the amount spent by Oil and Natural Gas Commission and Oil India Limited for acquiring offshore rigs on ownership and chartership basis separately during 1988-89 and what amount is proposed to be spent in the next two years, for this purpose;

(b) what are the names of owners, operators and contract period of the offshore rigs in operations with ONGC and OIL along with the name, type and the location of the rigs; and

(c) what number of offshore rigs is proposed to be required in the next two years by ONGC and OIL on ownership and chartership basis?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a)

Rs./crores

	Owned	1988-89 Charter Hire
ONGC	13.29	146.74
OIL	—	3.03

The amount for the years 1989—91 would be approximately Rs. 204 crores.

(b) The details are given in the enclosed statement. [*See* Appendix CXLIX, Annexure No 31.]